कार्यालयः–जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा

–: आम सूचना :–

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्रांक 1035 दिनांक 27.06.2024 के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय में कुल 30 अधिवक्तागण की पैनल तैयार किया जाना है जिसके संबंध में श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के आदेश दिनांक 31.10.2025 के आदेशानुसार पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु दिनांक 04.11.2025 से 20.11.2025 तक आवेदन करने हेतु आदेशित किया गया था जिसे अध्यक्ष महोदया के दिनांक 03.11.2025 के आदेश के आलोक में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के उपरांत अगले आदेश तक इसे स्थगित किया जाता है।

आदेशानुसार

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
नवादा
03–11–2025